

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014—भाद्र 10, शक 1936

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-10-53-सत्रह-2014-मेडि-2.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 69(1), 90(1), 138(1) और 150-बी(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त नियमों के भाग सात, आठ तथा चौदह के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा भाग पन्द्रह (ए) के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन और अनुमोदन प्राधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- (1) श्री एस. एन. गर्ग
- (2) श्री आर. एस. वरंदानी
- (3) श्री राजीव अग्रवाल
- (4) श्री रजनीश चौधरी.

No. F-10-53-XVII-2014-M-2.—In exercise of the powers conferred by the rules 69(1), 90(1), 138(1) and 150-B(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the State Government, hereby appoints the following Officers of the Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be Licensing Authority for the purposes of Part VII, VIII and XIV and Licensing and Approving Authority for the purpose of Part XV(A) of the said Rules, namely:—

- (1) Shri S. N. Garg
- (2) Shri R. S. Varandani
- (3) Shri Rajeev Agrawal
- (4) Shri Rajneesh Choudhary.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,-  
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.